रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052024-254025
CG-DL-E-03052024-254025

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 2, 2024/वैशाख 12, 1946
No. 308] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 2, 2024/VAISAKHA 12, 1946

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2024

एफ. नं. एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1ए.—आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उपधारा (1) के अनुच्छेद (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, बैचलर ऑफ फार्मेसी-आयुर्वेद [बी. फार्म. (आयु.)] विनियम 2024 कहा जाएगा।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" का आशय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) से है;

(ख) "परीक्षा नियंत्रक" का आशय संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा नियंत्रक से है;

(ग) "उप निदेशक" का आशय उप निदेशक (फार्मेसी) से है;

(घ) "व्याख्यान" का आशय उपदेशात्मक शिक्षण अर्थात् कक्षा शिक्षण से है;

(ङ) "गैर-व्याख्यान" में प्रायोगिक और प्रदर्शनात्मक शिक्षण शामिल है और प्रदर्शनात्मक शिक्षण में संबंधित विषय की आवश्यकता के अनुसार छोटे समूह में शिक्षण या टमूटोरियल या सेमिनार या संगोष्ठी या असाइनमेंट या फार्मेसी प्रशिक्षण अथवा प्रयोगशाला प्रशिक्षण या क्षेत्र का दौरा या कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षण या एकीकृत शिक्षण इत्यादि शामिल हैं।

(च) "अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम" का आशय बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम से है;

(2) यहां प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड- (1) बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) में प्रवेश पाने के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी:-

(क) अभ्यर्थी को किसी भी परीक्षा बोर्ड से भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान और अंग्रेजी के साथ इंटरमीडिएट (10+2) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और सामान्य श्रेणी के मामले में भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर योग्यता परीक्षा में न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में चालीस प्रतिशत अंक प्राप्त होना चाहिए:

बशर्ते कि दिव्यांग व्यक्तियों के संबंध में, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट अभ्यर्थी हेतु सामान्य वर्ग के मामले में, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उक्त परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक पैंतालीस प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में चालीस प्रतिशत होंगे।

(ख) डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) कार्यक्रम के माध्यम से प्रवेश: बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) कार्यक्रम के लिए अनुमत प्रवेश सीटों की क्षमता की कुल संख्या में से अधिकतम बीस प्रतिशत पर दिया जा सकता है। शेष सीटें विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अनुच्छेद (क) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों का पालन करके भरी जा सकती हैं।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी को बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह उपाधि कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश के वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले सत्रह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता हो।

(2) राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा- (क) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में स्नातक कार्यक्रम हेतु सभी चिकित्सा संस्थानों में प्रवेश के लिए स्नातक स्तर पर एक समान प्रवेश परीक्षा नामत: राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) होगी और आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा नामित प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी।

(ख) एक शैक्षणिक वर्ष के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम में प्रवेश पर विचार करने हेतु, अभ्यर्थी को स्नातक कार्यक्रम के उक्त शैक्षणिक वर्ष के लिए आयोजित राष्ट्रीय-पात्रता-सह प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम पचास परसेंटाईल अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा:

बशर्ते कि, इस संबंध में –

(i) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 40वें परसेंटाईल पर होंगे;

(ii) दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) के तहत निर्दिष्ट बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी, सामान्य वर्ग के मामले में न्यूनतम अंक 45वें परसेंटाईल और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में 40वें परसेंटाईल पर होंगे:

बशर्ते कि जहां संबंधित श्रेणी में पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी शैक्षणिक वर्ष हेतु आयोजित राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान केन्द्र सरकार के परामर्श के बाद अपने विवेक से संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक न्यूनतम अंकों को कम कर सकती है और आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा कम किए गए अंक केवल उस शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू होंगे।

(3) केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों के लिए दो सीटें आरक्षित होंगी:

बशर्ते कि उप-विनियम (1) और (2) उक्त विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों के लिए लागू नहीं होंगे और इन अभ्यर्थियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य समकक्ष योग्यता की अनुमति दी जा सकती है।

4. आरक्षण नीति- प्रवेश के समय विभिन्न श्रेणियों (अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति) के लिए आरक्षण केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों के अनुसार होगा।

5. काउंसलिंग- (1) विनियम 3 में बताए अनुसार अर्हक परीक्षा के परिणाम घोषित होने पर, संस्थान के स्नातक उपाधि कार्यक्रम में काउंसलिंग और प्रवेश मंत्रालय की आयुष प्रवेश केंद्रीय परामर्श समिति (एएसीसीसी), आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय सामान्य मेरिट सूची के आधार पर आयोजित किया जाएगा। आवंटित अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शारीरिक रूप से उपस्थित होना होगा तथा पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जो इस विनियमन के तहत न्यूनतम पात्रता अंक प्राप्त करने में विफल रहा है, उसे उक्त शैक्षणिक वर्ष में स्नातक कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. छात्रों का नामांकन- (1) छात्र को उसके प्रवेश के छह महीने के भीतर संस्थान के छात्र के रूप में नामांकित किया जाएगा।

(2) नामांकन शुल्क संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा और इसका भुगतान केवल एक बार किया जाएगा, चाहे छात्र संस्थान की परीक्षाओं में कितनी भी बार शामिल हो।

(3) परीक्षा नियंत्रक नामांकन के रिकॉर्ड का अनुरक्षण करेगा।

(4) नामांकन पर, प्रत्येक छात्र को एक नामांकन संख्या प्राप्त होगी जिसके तहत उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया है और वह संख्या संस्थान के साथ सभी संचारों में छात्र द्वारा उद्धृत की जाएगी।

7. शुल्क संरचना- छात्रों को वार्षिक शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, ट्यूशन शुल्क और संस्थान द्वारा अधिसूचित अन्य शुल्कों का भुगतान करना होगा।

8. उपाधि कार्यक्रम की अवधि- बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम की अवधि 12 सप्ताह की अनिवार्य इंटर्नशिप सहित चार वर्ष की होगी:

बशर्ते कि, यदि कोई छात्र किसी भी कारण से संस्थान के प्राधिकारी की उचित अनुमति के साथ उपाधि कार्यक्रम बीच में छोड़ देता है, तो उसे प्रवेश की तारीख से अधिकतम दस वर्षों की अवधि के भीतर उपाधि कार्यक्रम पूर्ण करने की अनुमति दी जाएगी।

9. प्रदान की जाने वाली उपाधि- उपाधि का नाम बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) होगा। छात्र को सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और निर्धारित अवधि में अध्ययन के निर्धारित कार्यक्रम को पूर्ण करने और आवश्यक शुल्क के भुगतान पर बारह सप्ताह की अनिवार्य इंटर्नशिप को पूर्ण करने के बाद, संस्थान के आगामी दीक्षांत समारोह में या व्यक्तिगत रूप से या उनकी अनुपस्थिति में प्रदत्त विकल्प को बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) की उपाधि से प्रदान की जाएगी।

10. शिक्षण का माध्यम- बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम के लिए शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिंदी होगा।

11. अध्ययन पैटर्न और पाठ्यक्रम- (1) स्नातक कार्यक्रम चार वर्षों में आयोजित किया जाएगा और इन विनियमों में निर्दिष्ट कुल अवधि और विषयों को ध्यान में रखते हुए क्षैतिज एकीकरण मॉडल में पढ़ाया जाएगा।

(2) पहला वर्ष सामान्यतः सितंबर या अक्टूबर महीने में शुरू होगा।

(3) अगला वर्ष पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षाओं के पूर्ण होने के बाद शुरू होगा।

(4) प्रत्येक एकीकृत शिक्षण मॉड्यूल पाठ्यक्रम के संदर्भ में संरचित किया जाएगा।

(5) प्रति दिन न्यूनतम चार घंटे की सैद्धांतिक कक्षाएं और न्यूनतम तीन घंटे की गैर-व्याख्यान गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

(6) शैक्षणिक पाठ्यक्रम या सिलेबस, संस्थान की अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और किसी विशेष वर्ष के लिए विषय के आवंटन के साथ-साथ विषय की सामग्री के संबंध में, संशोधन के अधीन होगा।

12. विषयों या पाठ्यक्रमों की संख्या, शिक्षण घंटे और अंक वितरण- (1) बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम में व्याख्यान कक्षा और गैर-व्याख्यान कक्षा होगी तथा गैर-व्याख्यान में प्रायोगिक निष्पादन, प्रदर्शन, वितरण आदि गतिविधियाँ शामिल हैं।

(2) प्रत्येक वर्ष शिक्षण के लिए कुल 200 दिन है जिसमें दो परीक्षाएं, दो छुट्टियां (ग्रीष्म और दिवाली) होगी और अन्य सरकारी छुट्टियां शामिल नहीं हैं।

(3) संस्थान प्रत्येक सत्र में शिक्षण पैटर्न और विषयों का निर्धारण करेगा।

(4) बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम में उनके शिक्षण घंटों के साथ निम्नलिखित विषय शामिल होंगे और चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान प्रत्येक सत्र के दौरान पढ़ाए गए विषयों के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका विवरण निम्नलिखित तालिकाओं के अनुसार होगा, अर्थात्: -

तालिका 1

बैचलर ऑफ फार्मेसी-आयुर्वेद

प्रथम वर्ष

(कुल कार्य दिवस: 200 अधिकतम कार्य घंटे: 1400)

क्र.सं.	विषय	व्याख्यान के घंटों की संख्या	गैर-व्याख्यान के घंटों की संख्या	सैद्धांति परीक्षा के कुल अंक	प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक
1	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-I (आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स)	60	100	100	100
2	द्रव्यगुण विज्ञान-I (मटेरिया मेडिका)	60	100	100	100
3	शारीर (क्रिया शारीर, रचना शारीर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी)	60	100	100	100
4	फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री (आर्गेनिक एंड इनआर्गेनिक)	60	100	100	100
5	डिस्पेंसिंग, कम्युनिटी फार्मेसी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी	60	100	100	100
6	आयुर्वेद और स्वस्थवृत्त के मूलभूत सिद्धांत	60	---	100	---
7	फार्मास्युटिकल बायोकेमिस्ट्री	60	100	100	100
8	संस्कृत और संहिता	60	---	100	---
	कुल	480	600	1400 **अंक**	
		1080 घंटे			

तालिका 2

बैचलर ऑफ फार्मेसी-आयुर्वेद

द्वितीय वर्ष

(कुल कार्य दिवस: 200 अधिकतम कार्य घंटे: 1400)

क्र.सं.	विषय	व्याख्यान के घंटों की संख्या	गैर-व्याख्यान के घंटों की संख्या	सैद्धांति परीक्षा के कुल अंक	प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक
1	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-II (आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स)	70	110	100	100
2	द्रव्यगुण विज्ञान-II (मटेरिया मेडिका)	70	110	100	100
3	फार्माकोग्नॉसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-I	70	110	100	100
4	फार्मास्युटिकल एनालिसिस ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-I	70	110	100	100
5	फिजिकल फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिक्स	70	110	100	100
6	फार्मास्युटिकल माइक्रोबायोलॉजी	70	110	100	100
कुल		420	660	1200	
		1080 घंटे			

तालिका 3

बैचलर ऑफ फार्मेसी-आयुर्वेद

तृतीय वर्ष

(कुल कार्य दिवस: 200 अधिकतम कार्य घंटे: 1400)

क्र.सं.	विषय	व्याख्यान के घंटों की संख्या	गैर-व्याख्यान के घंटों की संख्या	सैद्धांति परीक्षा के कुल अंक	प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक
1	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-III (आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स)	60	110	100	100
2	द्रव्यगुण विज्ञान-III (मटेरिया मेडिका)	60	110	100	100
3	फार्माकोग्नॉसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-II	60	110	100	100
4	फार्मास्युटिकल एनालिसिस ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स- II	60	110	100	100
5	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स -I	60	110	100	100
6	फार्माकोलॉजी एंड टोक्सीकोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-I	60	110	100	100

7	फार्मास्युटिकल इंजीनियरिंग	60	---	100	---
	कुल	420	660	1300 अंक	
		1080 घंटे			

तालिका 4

बैचलर ऑफ फार्मेसी-आयुर्वेद

चतुर्थ (अंतिम) वर्ष

(कुल कार्य दिवस: 200 अधिकतम कार्य घंटे: 1400)

क्र.सं.	विषय	व्याख्यान के घंटों की संख्या	गैर-व्याख्यान के घंटों की संख्या	सैद्धांति परीक्षा के कुल अंक	प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक
1	रसशास्त्र एवं भैषज्य कल्पना-IV (आयुर्वेदिक फार्मास्युटिक्स)	60	110	100	100
2	द्रव्यगुण विज्ञान-IV (मटेरिया मेडिका)	60	110	100	100
3	फार्माकोग्नॉसी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-III	60	110	100	100
4	फार्मास्युटिकल एनालिसिस ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-III	60	110	100	100
5	फार्मास्युटिकल टेक्नोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स -II	60	110	100	100
6	फार्माकोलॉजी एंड टोक्सीकोलॉजी ऑफ आयुर्वेदिक ड्रग्स-II	60	110	100	100
7	फोरेंसिक फार्मेसी एवं फार्मास्युटिकल मेनेजमेन्ट	60	---	100	---
कुल		420	660	1300	
		1080 घंटे			

13. अनिवार्य इंटर्नशिप:- (1) भारत में कहीं भी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणित फार्मेसी में इंटर्नशिप की अवधि बारह सप्ताह होगी।

(2) छात्र को फार्मेसी के सभी विभागों में पर्याप्त अनुभव प्राप्त करना होगा।

(3) इंटर्नशिप कार्यक्रम पाठ्यक्रम के कार्यकाल के दौरान होगा।

(4) इंटर्नशिप ओरिएंटेशन कार्यक्रम:-

(क) संस्थान इंटर्नशिप शुरू होने से पहले एक अनिवार्य तीन दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित करेगा;

(ख) ओरिएंटेशन कार्यक्रम प्रशिक्षु को आयुर्वेदिक दवा निर्माण के नियमों और विनियमों, कानूनी पहलुओं, बैच निर्माण रिकॉर्ड और विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रमाणन के बारे में अपेक्षित ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा।

(ग) ओरिएंटेशन की अवधि निर्धारित इंटर्नशिप अवधि को छोड़कर होगी और जिन छात्रों ने ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है, उन्हें ही अपनी इंटर्नशिप शुरू करने की अनुमति दी जाएगी;

(घ) ओरिएंटेशन आयोजित करने के लिए मैनुअल संस्थान द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(5) इंटर्नशिप कार्यक्रम का समापन: इंटर्नशिप कार्यक्रम के सफल समापन पर, संबंधित फार्मेसी इंटर्न को प्रमाण पत्र जारी करेगी और संस्थान के फार्मास्युटिकल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल के प्रभारी प्रमाण पत्र का सत्यापन करेंगे।

(6) सत्यापन के बाद, संस्थान के फार्मास्युटिकल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल के प्रभारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तैयार करेंगे और उप निदेशक (फार्मेसी) के कार्यालय में जमा करेंगे।

(7) अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उप निदेशक (फार्मेसी) कार्यालय अनंतिम प्रमाण पत्र जारी करेगा।

(8) इंटर्न के लिए छुट्टी: किसी इंटर्न को किसी भी प्रकार की छुट्टी या अनुपस्थिति की अनुमति नहीं है और असाधारण परिस्थितियों में, उप निदेशक (फार्मेसी) द्वारा छूट दी जा सकती है।

14. **सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ-** छात्र संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों जैसे कार्यशालाएँ, सेमिनार, योग, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, ड्रग टूर, उद्योग भेंट, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

15. परीक्षाएँ- (1) नामांकित छात्र अपने वर्ष की अवधि की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के बाद परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे।

(2) परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति प्रत्येक विषय में कुल व्याख्यान और प्रैक्टिकल में अलग-अलग पचहत्तर प्रतिशत होगी।

बशर्ते कि प्रमाणित बीमारी के कारण, उप निदेशक (फार्मेसी) संबंधित छात्र की उपस्थिति में प्रत्येक विषय के लिए पांच प्रतिशत तक छूट दे सकते हैं और यदि किसी छात्र की उपस्थिति पांच से दस प्रतिशत कम हो जाती है, तो उप निदेशक (फार्मेसी) मामले को निदेशक के पास भेज देगा और निदेशक के पास इसे स्वीकृत करने की शक्ति है।

(3) सभी परीक्षाएं परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित की गई तारीखों और समय पर आयोजित की जाएंगी।

(4) पात्र छात्रों को निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा और संस्थान के परीक्षा नियंत्रक द्वारा अधिसूचित निर्धारित समय के भीतर विधिवत भरा हुआ परीक्षा फॉर्म जमा करना होगा।

16. परीक्षाओं का वर्ष-

(1) रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन होगा। रचनात्मक मूल्यांकन प्रत्येक शिक्षण मॉड्यूल के अंत में किया जाएगा और योगात्मक मूल्यांकन प्रत्येक विषय के अंत में होगा।

(2) परीक्षा सामान्यत: प्रत्येक वर्ष के अंत तक आयोजित और पूर्ण की जाएगी और किसी भी वर्ष के दो विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र को अगले वर्ष के सत्र और परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि अगले वर्ष छात्र को सत्र को जारी रखने की तब तक अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि छात्र पिछली परीक्षा के सभी विषयों या पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण न हो जाए। उन छात्रों के लिए कोई अलग कक्षा नहीं होगी जो कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और छात्र को नियमित छात्र बैच के साथ या जूनियर बैच के साथ, जो भी लागू हो, कक्षा में भाग लेना होगा।

(3) अंतिम परीक्षा सामान्यत: चौथे वर्ष के अंत में आयोजित और पूर्ण की जाएगी और अंतिम वर्ष की अनुपूरक परीक्षा प्रत्येक छह महीने में आयोजित की जाएगी।

(4) छात्र को अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि छात्र पिछली सभी परीक्षाओं के सभी विषयों या पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण नहीं हो जाता।

(5) इंटर्नशिप को छोड़कर पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अधिकतम अवधि प्रवेश की तारीख से दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

17. परीक्षा पैटर्न एवं पदोन्नति- (1) सैद्धांतिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का पैटर्न संस्थान के परीक्षा नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा।

(2) प्रश्न पत्र द्विभाषी, अंग्रेजी भाषा और हिंदी में होगा और उत्तर अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखे जा सकते हैं।

(3) परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक में अलग-अलग पचास प्रतिशत होंगे, जैसा कि इन विनियमों की अंक वितरण तालिका में उल्लिखित है।

(4) पैंसठ प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को प्रथम श्रेणी और पचहत्तर प्रतिशत और इससे अधिक अंकों को विशिष्टता प्रदान की जाएगी और ये अवार्ड पूरक परीक्षाओं के लिए लागू नहीं होंगे।

(5) यदि कोई छात्र संज्ञानात्मक कारणों से नियमित परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो वह नियमित छात्र के रूप में पूरक परीक्षा में उपस्थित होगा, जिसकी नियमित परीक्षा में उपस्थित न होने को अवसर के रूप में नहीं माना जाएगा।

(6) निर्धारित सीमा के भीतर प्रथम तीन वर्षों की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही छात्र अनिवार्य इंटर्नशिप में शामिल होने के पात्र होंगे।

18. अंतिम मूल्यांकन– सैद्धांतिक विषयों का अंतिम मूल्यांकन पूर्ण पाठ्यक्रम के आधार पर नियमित परीक्षा में किया जाएगा और संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा में अंतिम प्रायोगिक मूल्यांकन में प्रायोगिक परीक्षा और मौखिक परीक्षा होगी।

19. दोहरी मूल्यांकन प्रणाली- (1) एक उत्तर पुस्तिका के लिए दो अलग-अलग योग्य परीक्षकों द्वारा दो मूल्यांकन होंगे ताकि एकल मूल्यांकन में असंतुलित प्रकृति और परिणामी अप्रिय स्थिति को कम किया जा सके।

(2) दोहरे मूल्यांकन के बाद, दोनों स्कोरों में कुल अंको के बीस प्रतिशत तक भिन्नता होने पर दोनों अंकों का औसत अंतिम अंक माना जाएगा।

(3) भिन्नात्मक अंकों के मामले में, यदि भिन्न 0.5 या उससे ऊपर है, तो इसे अगले उच्चतम अंक मान तक पूर्णांकित किया जाएगा और यदि स्कोर 0.5 से नीचे है तो इसे निचले अंक मान तक पूर्णांकित किया जाएगा।

(4) दोहरे मूल्यांकन के अंत में, यदि दो स्वतंत्र स्कोरों के बीच अंतर कुल अंकों के बीस प्रतिशत से अधिक है, तो ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को तीसरे पात्र परीक्षक द्वारा मूल्यांकन हेतु योग्य माना जाएगा।

20. परीक्षकत्व- (1) सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा में परीक्षक बनने की पात्रता संबंधित विषय में न्यूनतम तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव होगा।

(2) प्रायोगिक परीक्षा में दो परीक्षक होंगे, एक आंतरिक परीक्षक संस्थान से और दूसरा बाहरी परीक्षक किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या संस्थान से होगा।

21. अनुचित साधनों और उच्छृंखल आचरण पर नियंत्रण- (1) कोई भी छात्र परीक्षा में या उसके संबंध में अनुचित साधनों का उपयोग नहीं करेगा या उच्छृंखल आचरण में शामिल नहीं होगा और ऐसा करना संस्थान के परीक्षा के प्रावधान के अनुसार अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंडनीय अपराध माना जाएगा।

(2) किसी परीक्षा या परीक्षण में किसी छात्र के कदाचार के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने या मामले का पता चलने पर, निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को उसमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद छात्र को दंडित करने की शक्ति होगी और जहां किसी परीक्षा में छात्र के विरूद्ध कदाचार का आरोप सिद्ध हो जाता है तो निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक दण्ड समिति द्वारा छात्र को दिया जा सकता है, अर्थात्; -

(क) किसी परीक्षा में उसके प्रवेश को रद्द करना या अस्वीकार करना और उसके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क, यदि कोई हो, को जब्त कर लेना;

(ख) उस परीक्षा के परिणाम को रद्द करना जिसके साथ आरोप जुड़ा हुआ है;

(ग) उसे एक विशिष्ट अवधि के लिए, जो पांच वर्ष या उससे अधिक या स्थायी रूप से संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम में शामिल होने से रोक सकता है;

(घ) नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए दंड के स्तर के अनुसार किसी भी संस्थागत परीक्षा में उपस्थित होने से वंचित करना।

अनुसूची:

नीचे दी गई अनुसूची उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित अनुचित साधनों या कृत्यों के लिए कॉलम (3) में दंड का प्रावधान करती है।

क्र.सं.	अनुचित साधन या कृत्य	दण्ड
(1)	(2)	(3)
(1)	परीक्षा हॉल के अंदर उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर या कुछ भी लिखना।	संबंधित विषय का परिणाम रद्द किया जा सकता है
(2)	परीक्षा हॉल में परीक्षा के विषय से संबंधित सामग्री रखना अर्थात्:- (क) कागजात, किताबें या नोट्स; अथवा (ख) छात्र द्वारा पहने गए कपड़ों के किसी भी हिस्से पर या उसके शरीर के	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है

	किसी भी हिस्से, या टेबल या डेस्क पर लिखित नोट्स; अथवा (ग) फुट-रूल या उपकरण जैसे सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्लाइड रूलर आदि जिन पर नोट्स लिखे हों।	
(3)	उत्तर-पुस्तिका से नकल करना पाया गया या सिद्ध किया गया या अन्यथा यह स्थापित हो जाता है कि छात्र ने, (क) परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी समय किसी भी तरीके से किसी भी कागजात, किताबें, नोट्स, उत्तर-पुस्तिका या किसी अन्य स्रोत से नकल की या मदद ली; या (ख) किसी अन्य छात्र को अपनी उत्तर-पुस्तिका से नकल करने की अनुमति दी; या (ग) किसी अन्य छात्र से सहायता प्राप्त की है या सहायता दी है; या (घ) किसी अन्य छात्र के साथ अपनी उत्तर-पुस्तिका या उसके किसी भाग का आदान-प्रदान किया।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(4)	प्रश्न पत्र (या उसके किसी भाग) को बाहर भेजनें या बाहर भेजनें का प्रयास करने पर	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(5)	आपत्तिजनक सामग्री को निगलना, उसे लेकर भाग जाना या उसे गायब कर देना या किसी अन्य तरीके से नष्ट करना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(6)	किसी उत्तर-पुस्तिका को अंदर या बाहर ले जाना अथवा उसे बदलना या उत्तर लिखने के बाद उसे बदल देना (परीक्षा के दौरान या बाद में किसी व्यक्ति की सहायता या सहायता के बगैर अथवा मिलीभगत से)।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(7)	उत्तर-पुस्तिका पर्यवेक्षक को न सौंपना या उत्तर-पुस्तिका को नष्ट कर देना।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(8)	परीक्षा हॉल में गंभीर कदाचार या कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या परीक्षा हॉल के अंदर अथवा बाहर परीक्षा ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ बल प्रयोग।	छात्र को संस्थान से स्थायी रूप से वर्जित किया जा सकता है
(9)	अवज्ञा, सीट परिवर्तन, परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार या उत्तर पुस्तिका पर किसी अन्य छात्र की सीट संख्या लिखना।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(10)	अंक बढ़ाने या खाली पन्नों पर उत्तर लिखने या परीक्षा के संचालन में बाधा डालने के लिए परीक्षक के पास जाना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(11)	प्रतिरूपण-प्रतिरूपणकर्ता (जो किसी अन्य छात्र के लिए लिखता है), यदि वह इस संस्थान का छात्र होने के साथ-साथ प्रतिरूपित छात्र भी है।	छात्र को संस्थान से स्थायी रूप से वर्जित किया जा सकता है
(12)	जब उत्तर-पुस्तिका में शामिल हो, (क) अपमानजनक या अश्लील अथवा धमकी भरी भाषा; अथवा (ख) परीक्षक से अपील; अथवा (ग) पहचान प्रकट करने के लिए विशिष्ट चिह्न या चिह्न।	संबंधित विषय का परिणाम रद्द किया जा सकता है
(13)	आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के आधार पर परीक्षा में प्रवेश।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(14)	यदि छात्र वीडियो फुटेज में बात करते या कोई अन्य कदाचार करते हुए अथवा परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हुए पाया जाता है।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है

(3) किसी परीक्षा में किसी अनुचित साधन या कृत्य को छात्र के विरूद्ध सिद्ध किया जाता है जो उप-विनियम (3) में उल्लिखित नहीं है तो निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को छात्र द्वारा प्रयुक्त अनुचित साधन अथवा कृत्य के मामले के अनुसार दण्ड निर्धारित करने की शक्ति होगी।

22. विविध- बैचलर ऑफ फार्मेसी (आयुर्वेद) उपाधि कार्यक्रम के तहत संलग्न स्कॉलरों को किसी भी वैतनिक या अवैतनिक नियुक्तियों अथवा सेवा या काम करने या स्वयं को स्व-रोज़गार में संलग्न करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और स्कॉलर को किसी भी नई नौकरी या नियुक्तियों के लिए आवेदन जमा करते समय संस्थान से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जमा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा और चूककर्ता शुल्क की वसूली और प्रवेश समाप्ति जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु उत्तरदायी होंगे।

23. वेकेशन और छुट्टियाँ- (1) संस्थान के प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए गर्मी के तीस दिनों और सर्दियों के पंद्रह दिनों सहित दो छुट्टियां और किसी भी प्रकार की छुट्टी को वेकेशन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है; हालाँकि निदेशक के पास असाधारण परिस्थितियों में अतिरिक्त छुट्टी स्वीकृत करने की शक्ति होगी।

(2) ड्यूटी या विशेष छुट्टी उन छात्रों को दी जाएगी, जिन्हें खेल, सेमिनार आदि में भाग लेने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्रतिनियुक्त या अनुमति दी गई है और ऐसी छुट्टी एक वर्ष में पंद्रह दिनों से अधिक नहीं होगी; हालाँकि, निदेशक द्वारा विशेष परिस्थिति में छुट्टी को अधिकतम पंद्रह दिनों तक बढ़ाया जा सकता है।

24. प्राधिकारी की विवेकाधीन शक्तियां: संस्थान के निदेशक के पास इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या में किसी भी विसंगति के लिए अंतिम अधिकार है, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, संस्थान के शासी निकाय के अनुमोदन या अनुसमर्थन से इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

डॉ. अनूप ठाकर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./077/2024-25]

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 2024

F. No. L-12015/25/2021-AS-Pt.1A.—In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of Section 28 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Institute of Teaching and Research in Ayurveda, Bachelor of Pharmacy- Ayurveda [B. Pharm. (Ayu.)] Regulations 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020);

(b) "Controller of Examinations" means Controller of Examinations appointed by the Institute;

(c) "Deputy Director" means the Deputy Director (Pharmacy);

(d) "Lectures" means didactic teaching i.e. classroom teaching;

(e) "Non-lectures" includes Practical and demonstrative teaching and the demonstrative teaching includes small group teaching or tutorials or seminars or symposiums or assignments or pharmacy training or laboratory training or field visits or skill lab training or integrated learning, etc. as per the requirement of the concerned subject.

(f) "Under Graduate programme" means the Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme;

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

3. Eligible criteria for Admission.- (1) The eligibility to seek admission in Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) shall be as under:-

(a) The candidate shall have passed the intermediate (10+2) or its equivalent examination from any examination board with the Physics, Chemistry, Biology and English and have obtained minimum of

fifty per cent. marks taken together in Physics, Chemistry and Biology at qualifying examination in the case of General category and forty per cent. marks in the case of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes:

Provided that in respect of persons with disability, candidate specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum qualifying marks in the said examination in Physics, Chemistry and Biology shall be forty-five per cent. in the case of General category and forty per cent. in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes.

(b) Admission through Diploma of Pharmacy (Ayurveda) programme: Admission may be made on maximum of twenty per cent. seats out of the total number of intake capacity permitted for Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) programme rest of the seats may be filled up by following the eligibility criteria mentioned in clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 3.

(c) No candidate shall be admitted to Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme unless he or she has attained the age of seventeen years on or before the 31st December of the year of admission in the first year of the degree programme.

(2) National Eligibility-cum-Entrance Test.- (a) There shall he a uniform entrance examination for all medical institutions at the under-graduate level namely the National Eligibility-cum- Entrance Test (NEET) for admission to under-graduate programme in each academic year and shall be conducted by an authority designated by the Institute of Teaching and Research in Ayurveda.

(b) In order to consider for admission to Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme for an academic year, it shall be necessary for a candidate to obtain a minimum of marks at fifty percentile in the National Eligibility cum Entrance Test for Under Graduate programme held for the said academic year:

Provided that in respect of, -

(i) candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes, the minimum marks shall be at 40th percentile;

(ii) candidates with benchmark disabilities specified under the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the minimum marks shall be at 45th percentile in the case of General category and 40th percentile in the case of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes:

Provided further that where sufficient numbers of candidates in the respective category fail to secure minimum marks in the National Eligibility-cum- Entrance Test held for any academic year for admission to undergraduate programme, the Institute of Teaching and Research in Ayurveda in consultation with the Central Government may at its discretion lower the minimum marks required for admission to undergraduate programme for candidates belonging to respective category and marks so lowered by the Institute of Teaching and Research in Avurveda shall be applicable for that academic year only.

(3) Two seats shall be reserved for foreign national candidates, approved by the Central Government:

Provided that sub-regulation (1) and (2) shall not be applicable for said foreign national candidates and for these candidates any other equivalent qualifications approved by the Central Government may be allowed.

4. Reservation Policy.- The reservation for different categories (i.e. the Scheduled Cast, the Scheduled Tribe, the Other Backward Class, Economically Weaker Section, Person with benchmark disabilities) shall be as per the orders and instructions issued by the Central Government at the time of admission.

5. Counseling.- (1) On declaration of the results of the qualifying examination as stated in regulation 3, the counseling and admission to the Under Graduate degree programme of the Institute shall be conducted by Ayush Admissions Central Counselling Committee (AACCC) of Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi on the basis of All India common merit list and the allotted candidates shall present physically for verification of their credentials and the admission shall be granted to the eligible candidates.

(2) No candidate who has failed to obtain the minimum eligibility marks under this regulation shall be admitted to under-graduate programme in the said academic year.

6. Enrolment of the students.- (1) The student shall be enrolled as a student of the Institute within six months of his admission.

(2) The enrolment fee shall be determined by the Institute and shall be paid once only irrespective of the number of times the student appears for examinations of the Institute.

(3) The Controller of Examinations shall maintain the record of the enrollment.

(4) On enrollment, every student shall receive an enrollment number under which his name has been entered in the register and that number shall be quoted by the student in all communications to the Institute.

7. Fee structure.- The students shall have to pay an annual fee like admission fee, examination fee, tuition fee and other fees notified by the Institute.

8. Duration of degree programme.- The duration of the Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme shall be four years including 12 weeks of compulsory internship:

Provided that, if any student due to any reason leaves the degree programme in between with the due permission of authority of the institute, he shall be allowed to complete the degree programme within maximum duration of ten years from the date of admission.

9. Degree to be awarded.- The nomenclature of degree shall be Bachelor of Pharmacy (Ayurveda). The student shall be awarded Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) Degree after passing all the examinations and completion of the laid down programme of study extending over the laid down period and the compulsory internship extending over twelve weeks on payment of necessary fees, either in person or in absentia at his option at the succeeding convocation of the Institute.

10. Medium of Instruction.- The medium of instruction for the Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme shall be English or Hindi.

11. Study pattern and syllabus.- (1) The Under Graduate programme shall be conducted in Four years and taught in horizontal integration model while keeping the total duration and subjects as specified in these regulations.

(2) The first year shall ordinarily start in month of September or October.

(3) The subsequent years shall start after the completion of the final examinations of the preceding year.

(4) Each integrated teaching module shall be structured in terms of curriculum.

(5) Minimum four hours of theory classes and minimum three hours of non-lecture activities per day shall be conducted.

(6) The academic curriculum or syllabus shall be approved by Academic Council of the Institute and subjected to modification with respect to contents of a subject as well as allotment of subject to particular year.

12. Number of subjects or courses, teaching hours and marks distribution.- (1) Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme shall have lecture class and Non-lecture class, and Non-Lectures involves practical performance, demonstration, dispensing, etc. activities.

(2) Total 200 days for teaching during each year which exclude two examinations, two vacations (summer and Diwali) and other Government holidays.

(3) The Institute shall determine the teaching pattern and subjects in each session.

(4) Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme shall comprises of following subjects with their teaching hours and examination shall be held as per subjects taught during each session during the tenure of four years. The details thereof shall be as per the following tables, namely: -

Table 1

Bachelor of Pharmacy- Ayurveda

First year

(Total working days: 200 Maximum working hours: 1400)

Sr. No.	Subjects	No. of hours Lectures	No. of hours Non-Lectures	Total marks Theory	Total marks Practical
1	Rasashastra and Bhaishajya Kalpana-I (Ayurvedic Pharmaceutics)	60	100	100	100
2	Dravyaguna Vigyana- I (Materia Medica)	60	100	100	100
3	Sharira (Kriya Sharira, Rachana Sharira, Anatomy and Physiology)	60	100	100	100
4	Pharmaceutical Chemistry (Organic and Inorganic)	60	100	100	100

5	Dispensing, Community Pharmacy and Hospital Pharmacy	60	100	100	100
6	Fundamentals of Ayurveda and Swasthavritta	60	---	100	---
7	Pharmaceutical Biochemistry	60	100	100	100
8	Sanskrit and Samhita	60	---	100	---
Total		**480**	**600**	**1400 Marks**	
		1080 Hrs.			

Table 2

Bachelor of Pharmacy- Ayurveda

Second year

(Total working days: 200 Maximum working hours: 1400)

Sr. No.	Subjects	No. of hours Lectures	No. of hours Non-Lectures	Total marks Theory	Total marks Practical
1	Rasashastra and Bhaishajya Kalpana-II (Ayurvedic Pharmaceutics)	70	110	100	100
2	Dravyaguna Vigyana- II (Materia Medica)	70	110	100	100
3	Pharmacognosy of Ayurvedic Drugs- I	70	110	100	100
4	Pharmaceutical Analysis of Ayurvedic Drugs- I	70	110	100	100
5	Physical Pharmacy and Pharmaceutics	70	110	100	100
6	Pharmaceutical Microbiology	70	110	100	100
Total		**420**	**660**	**1200**	
		1080 Hrs.			

Table 3

Bachelor of Pharmacy- Ayurveda

Third year

(Total working days: 200 Maximum working hours: 1400)

Sr. No.	Subject	No. of hours Lectures	No. of hours Non-Lectures	Total marks Theory	Total marks Practical
1	Rasashastra and Bhaishajya Kalpana-III (Ayurvedic Pharmaceutics)	60	110	100	100
2	Dravyaguna Vigyana- III (Materia Medica)	60	110	100	100
3	Pharmacognosy of Ayurvedic Drugs- II	60	110	100	100
4	Pharmaceutical Analysis of Ayurvedic Drugs- II	60	110	100	100
5	Pharmaceutical Technology of Ayurvedic Drugs- I	60	110	100	100

6	Pharmacology and Toxicology of Ayurvedic Drugs-I	60	110	100	100
7	Pharmaceutical Engineering	60	---	100	---
	Total	**420**	**660**	**1300 Marks**	
		1080 Hrs.			

Table 4

Bachelor of Pharmacy- Ayurveda

Fourth (Final) year

(Total working days: 200 Maximum working hours: 1400)

Sr. No.	Subject	No. of hours Lectures	No. of hours Non-Lectures	Total marks Theory	Total marks Practical
1	Rasashastra and Bhaishajya Kalpana-IV (Ayurvedic Pharmaceutics)	60	110	100	100
2	Dravyaguna Vigyana- IV (Materia Medica)	60	110	100	100
3	Pharmacognosy of Ayurvedic Drugs- III	60	110	100	100
4	Pharmaceutical Analysis of Ayurvedic Drugs- III	60	110	100	100
5	Pharmaceutical Technology of Ayurvedic Drugs- II	60	110	100	100
6	Pharmacology and Toxicology of Ayurvedic Drugs- II	60	110	100	100
7	Forensic Pharmacy and Pharmaceutical Management	60	---	100	---
Total		**420**	**660**	**1300**	
		1080 hrs.			

13. Compulsory Internship:- (1) The duration of Internship shall be twelve weeks at a Government recognised Good Manufacturing Practice certified pharmacy anywhere in India.

(2) The student shall acquire adequate experience in all the departments of Pharmacy.

(3) Internship program will be during the tenure of course.

(4) Internship orientation programme: -

(a) the institute shall conduct a mandatory three days orientation programme before the commencement of the internship;

(b) the orientation programme shall be conducted with an aim to make the intern to acquire the requisite knowledge about the rules and regulations of the of Ayurvedic drug manufacturing, legal aspects, batch manufacturing records and various types of product certifications.

(c) The period of orientation shall be excluding the prescribed internship period and those students who have completed the orientation programme only shall be allowed to start their internship;

(d) The manual for conducting the orientation shall be determined by the Institute.

(5) Completion of Internship Programme: On successful completion of internship programme, the concerned pharmacy shall issue certificate to the intern and In-charge of Pharmaceutical Training and Placement Cell of the Institute shall verify the certificate.

(6) After verification, the In-charge of Pharmaceutical Training and Placement Cell of Institute shall generate No Objection Certificate and submit to the office of Deputy Director (Pharmacy).

(7) Only after receiving No Objection Certificate, office of Deputy Director (Pharmacy) shall issue provisional certificate.

(8) Leave for an intern: No any kind of leave or absence is permitted to an Intern and in extra ordinary conditions, relaxation may be granted by the Deputy Director (Pharmacy).

14. Co-curricular activities.- The students shall actively participate in various activities viz. workshops, seminars, yoga, sports and cultural activities, drug tour, industry visit, National Service Scheme etc. organised by the Institute.

15. Examinations.- (1) The enrolled students shall be eligible for appearing in the examination after completion of the stipulated time of their year term.

(2) The minimum attendance required to be eligible for appearing in the examination shall be seventy-five per cent. of the total lectures and practical in each subject separately.

Provided that on account of bonafide illness, the Deputy Director (Pharmacy) may condone the attendance of the concerned student up to five per cent. in each subject and if a student falls short in attendance by five to ten per cent., then the Deputy Director (Pharmacy) shall refer the case to the Director and the Director has power to sanction the same.

(3) All the examinations shall be held on such dates and time as decided by the Controller of Examinations.

(4) The eligible students shall have to pay stipulated examination fee and submit the examination form duly filled within the prescribed time as notified by the Controller of Examinations of the Institute.

16. Year of examinations.-

(1) There shall be formative and summative assessment. The formative assessment shall be carried out at the end of every teaching module and the summative assessment shall be at the end of every subject.

(2) The examination shall ordinarily be held and completed by the end of each year and the student failed in two subjects of any year shall be allowed to keep the term and examination of the next year, however the student shall not be allowed to keep term of subsequent year unless the student passes all the subjects or courses of previous examination. There shall be no separate class for the students who could not keep the term and student has to attend the class along with regular student batch or with junior batch as applicable.

(3) The final examination shall be ordinarily held and completed by the end of fourth year and the subsequent supplementary examination of final year shall be held in every six months.

(4) The student shall not be allowed to appear in final year examination, unless the student passes all the subjects or courses of previous all examinations.

(5) The maximum duration of completion of course excluding internship shall not exceed ten years from the date of admission.

17. Examination pattern and promotion.- (1) The pattern of theory examination question paper will be designed by the examination control board of the institute.

(2) The question paper shall be bilingual, in English language and Hindi and the answers may be written in English or Hindi languages.

(3) The minimum marks required for passing the examination shall be fifty per cent. in theory and in practical separately in each subject as mentioned in marks distribution table of these regulations.

(4) A student obtaining sixty-five per cent. and above marks shall be awarded first class and seventy-five per cent. and above marks shall be awarded distinction and these award shall not be applicable for supplementary examinations.

(5) In case a student fails to appear in regular examination for cognitive reasons, he or she shall appear in supplementary examination as regular student, whose non-appearance in regular examination shall not be treated as a trial.

(6) Students shall be eligible for joining the compulsory internship only after passing all first three years examinations within the prescribed limit.

18. Final Assessment.- The final assessment of theory shall be done in the regular examination based on full syllabus, and final practical assessment in examination shall be Practical and Viva voce as per the guidelines issued by the concern authority.

19. Double evaluation system.- (1) There shall be two evaluations for an answer book by two different eligible examiners so that lopsided nature in single evaluation and consequent unpleasant situation is mitigated.

(2) After double evaluation, in case of variation of both the scores up to twenty per cent. of the total marks then the average of both the scores shall be considered as final score.

(3) In case of fractional scores, if the fraction is 0.5 or above, it shall be rounded up to next highest digit and if the score is below 0.5 it shall be rounded up to the lower digit value.

(4) At the end of double evaluation, if the variation between two independent scores is more than twenty percent of the total marks, then such answer books shall be considered for evaluation by third eligible examiner.

20. Examinership.- (1) The eligibility to be an examiner in the theory and practical examination shall be a minimum of three years of teaching experience in the concerned subject.

(2) There shall be two examiners in the practical, one internal examiner from the Institute and the other external examiner from any recognized college or Institute.

21. Control of unfair means and disorderly conduct.- (1) No student shall use unfair means or indulge in disorderly conduct at, or in connection with the examination and doing so shall be considered as on punishable offence depending upon the nature and gravity of the offence as per the provision of Examination of the Institute.

(2) On receipt of a report or on detection of a case regarding the misconduct of any student at any examination or tests, the Examination Disciplinary Action Committee appointed by the Director shall have the power to punish the student after following the procedures as laid down therein and any one or more of the following punishment may be awarded by the committee to the student where a charge of misconduct at an examination is held proved against the student, namely; -

(a) cancelling or rejecting his admission to an examination and forfeiting fees if any, paid by him;

(b) cancelling his result of the examination with which the charge is connected;

(c) debarring him for a specific period which may be five years or more or permanently from joining any course of the institute;

(d) appearing in any of the Institutional examination as per the level of punishment given in schedule below.

Schedule:

The schedule below provides punishment in column (3) of unfair means or Acts mentioned in column (2) of said schedule.

Sr. No.	Unfair Means or Acts	Punishment
(1)	**(2)**	**(3)**
(1)	Writing questions or answers or anything on any material other than answer book inside the examination hall.	Cancelling the result of respective subject
(2)	Possession of material(s) relevant to the subject of the examination in examination hall namely:- (a) papers, books or notes; or (b) written notes on any part of the clothes worn by the student or on any part of his or her body, or table or desk; or (c) foot-rule or instruments like set-squares, protractors, slide rulers, etc. with notes written on them.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(3)	Copying is found or established from answer-book or it is otherwise established that the student has, (a) copied or taken help from any papers, books, notes, answer-book or any other sources in any manner during the examination or at any time thereafter; or (b) allowed another student to copy from his or her answer-book; or (c) received help from or has helped another student; or (d) exchanged his or her answer-book or apart thereof with another student.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(4)	On passing or attempting to pass on the question paper (or part thereof) outside	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(5)	Destruction of incriminating material(s) by swallowing, running away with it or causing its disappearance or by any other means.	Disqualification from appearing in examinations for three exams

(6)	Smuggling in or out of an answer-book or replacing or getting it replaced after attempting answers (during or after the examination with or without the help or connivance of any person).	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(7)	Non delivery of answer-book to the supervisor or destroying the answer book.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
(8)	Serious misconduct in the examination hall or misbehavior with staff or using force with the staff appointed on exam duty inside or outside the examination hall.	Permanently debarring the student from Institute
(9)	Disobedience, change of seat, misbehavior in or around examination hall or writing another student's seat number on the answer-book.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
(10)	Approaching examiner for raising marks or for writing the answer on blank pages or obstructing the conduct of an examination.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
(11)	Impersonation–impersonator (who writes for another student), if is a student of this institute as well as impersonated student.	Permanently debarring the student from Institute.
(12)	When answer-book contains, (a) abusive or obscene or threatening language; or (b) appeal to the examiner; or (c) distinctive mark or sign to disclose the identity.	Cancelling the result of respective subject
(13)	Admission to the examination on any kind of false representation in the application form.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
(14)	If the student is found talking or doing any other malpractice in the video footage or keeping mobile phone or any other electronic gadgets in the examination hall.	Disqualification from appearing in examinations for one exams

(3) Any unfair means or acts in any examinations is held proved against student which are not mentioned in Sub-regulations (3), the Examination Disciplinary Action Committee appointed by the Director shall have power to decide the punishment as per the case of unfair means or acts by the student.

22. Miscellaneous.- The scholars undergoing Bachelor of Pharmacy (Ayurveda) degree programme shall not be permitted to undertake any paid or unpaid appointments or service or work or engage himself or herself in self-employment and the scholar shall be directed to obtain 'No Objection Certificate' from the Institute while, submitting an application for any new job or appointments and the defaulters are liable for disciplinary action such as recovery of fees and termination of admission.

23. Vacations and Leaves.- (1) Two vacations including thirty days of summer and fifteen days of winter seasons as decided by the authority of the institute and no any kind of leave can be attached with vacation; however the Director shall have power to sanction extra leave in extra ordinary circumstances.

(2) The duty or special leave shall be granted to the students, who are deputed or allowed by the authority to take part in the sports, seminar, etc., and such leave shall not exceed fifteen days in a year; however, the leave may be extended maximum up to fifteen days in special case by the Director.

24. Discretionary powers of authority: The Director of the Institute has the final authority for any discrepancy in the interpretation of provisions of these regulations, and for reasons to be recorded in writing, may relax any provisions of these regulations with the approval or ratification of the Governing Body of Institute.

Dr. ANUP THAKAR, Director

[Advt.-III/4/Exty./077/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2024.05.03 22:30:32 +05'30'